भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 390

(26.02.2015 को उत्तर के लिए)

सरकारी कार्य संबंधी नियमों में संशोधन

390. श्री शान्ताराम नायक :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कई स्तरों वाली प्रक्रिया में कमी लाने के उद्देश्य की पूर्ति के लिए सरकारी कार्य संबंधी नियमों में संशोधन किया है;

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार ने इन नियमों में संशोधन का कोई प्रारूप तैयार किया है;

(ग) सरकार किन-किन स्तरों की प्रक्रिया में कमी लाने का विचार रखती है;

(घ) क्या किसी औपचारिक स्तर पर इस मामले पर चर्चा हुई है; और

(ङ) क्या विभिन्न मंत्रालयों से इस संबंध में कोई जानकारी प्राप्त हुई है ?

उत्तर

राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय एवं राज्य मंत्री, प्रधानमंत्री का कार्यालय
(डा. जितेन्द्र सिंह)

(क) से (ङ.) सरकार का यह प्रयास है कि निर्णय लेने के कई स्तरों को जहां तक संभव हो, कम किया जाए । केंद्रीय सचिवालय कार्यालय पद्धति नियम पुस्तिका के तेरहवें संस्करण में, जिसे सितम्बर, 2010 में प्रकाशित किया गया था, भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों के परामर्श से संशोधन किए जा रहे हैं ।

****

भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 391
(26.02.2015 को उत्तर के लिए)

स्व-प्रमाणित दस्तावेजों की वैधता

391. श्री नरेन्द्र कुमार कश्यप :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सरकारी कामों के लिए शपथ-पत्र के स्थान पर स्व-प्रमाणित दस्तावेजों को स्वीकार करने का निर्णय लिया है जैसा कि मीडिया की रिपोर्टों में प्रकाशित हुआ है यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इस संबंध में राज्य सरकारों को कोई निर्देश जारी किए गए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या अवयस्कों के मामले में अभिभावक दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कर सकते हैं; और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उत्तर

राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय एवं राज्य मंत्री, प्रधानमंत्री का कार्यालय
(डा. जितेन्द्र सिंह)

(क) और (ख) सरकार का यह निरंतर प्रयास है कि स्व-प्रमाणन की शुरूआत करके प्रक्रियाओं को सरल किया जाए । इस प्रयोजनार्थ, सभी केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों और राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों से अनुरोध किया गया है कि इस संबंध में मौजूदा अपेक्षाओं की समीक्षा करें तथा जहां कहीं संभव हो, स्व-प्रमाणन का प्रावधान करें । 25 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से जवाब प्राप्त हुए हैं जिनमें उनके द्वारा की गई कार्रवाई का उल्लेख है ।

(ग) विभिन्न संगठनों द्वारा सांविधिक और कानूनी प्रावधानों के अध्यधीन अनुप्रमाणन के लिए अलग-अलग मानदंड निर्धारित किए जाते हैं । प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग अपने अधिदेश के अनुसार विभिन्न संगठनों से जहां कहीं भी संभव हो, प्रशासनिक सुधार के उपाय के रूप में स्व-प्रमाणन को अपनाने के लिए अनुरोध करता रहता है ।

****

भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1681
(12.03.2015 को उत्तर के लिए)

शिकायतों का निवारण

1681. श्री राम कुमार कश्यप :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सचिवालय कार्यालय पद्धति नियम पुस्तिका (सीएसएमओपी) के पैरा 122(9) में यह प्रावधान है कि शिकायत की तत्काल तथा अधिक-से-अधिक शिकायत प्राप्ति के तीन दिनों के अंदर पावती भेजी जानी चाहिए तथा शिकायत प्राप्ति के अधिक-से-अधिक दो महीनों की अवधि के अंदर इसका निवारण कर दिया जाना चाहिए;

(ख) यदि हां, तो कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा सीएसएमओपी के पैरा 122(9) के उपबंधों का अनुपालन न किए जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) दो महीनों से अधिक समय से कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग में लंबित पड़ी शिकायतों की कुल संख्या कितनी है तथा इसके क्या कारण हैं ?

उत्तर

राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय एवं राज्य मंत्री, प्रधानमंत्री का कार्यालय
(डा. जितेन्द्र सिंह)

(क) जी, हां ।

(ख) कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग केंद्रीय सचिवालय कार्यालय पद्धति नियम पुस्तिका के पैरा 122(9) के उपबंधों का अनुपालन कर रहा है तथा

(ग) 2 माह से अधिक समय से 24 शिकायतें लंबित हैं ।

****

भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1690
(12.03.2015 को उत्तर के लिए)

राजपत्रित अधिकारियों द्वारा फार्म/आवेदन-पत्र का अभिप्रमाणन

1690. श्री परवेज़ हाशमी :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में अन्य पिछड़ा वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा अन्य जाति प्रमाण-पत्रों के सत्यापन हेतु फार्म/आवेदन-पत्रों को राजपत्रित अधिकारी से अभिप्रमाणित करवाना अनिवार्य है; और

(ख) क्या मलिन-बस्तियों/पुनर्वास कॉलोनियों तथा ग्रामीण क्षेत्रों से आवेदन करने वाले आवेदकों की मुश्किलों को दूर करने के लिए इन्हें कोई अन्य विकल्प प्रदान किया जा सकता है क्योंकि इन्हें "राजपत्रित अधिकारी" से दस्तावेज अभिप्रमाणित करवाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है ?

उत्तर

राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय एवं राज्य मंत्री, प्रधानमंत्री का कार्यालय
(डा. जितेन्द्र सिंह)

(क) और (ख) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने सूचित किया है कि राजस्व विभाग द्वारा जारी आदेश सं. एफ (87)/ओबीसी/डीसी/2010/785 के अनुसार आवेदन पत्रों से संबंधित सत्यापन प्रमाण-पत्र को व्यक्तिगत जानकारी के आधार पर संसद सदस्यों/विधायकों/पार्षदों और राजपत्रित अधिकारियों द्वारा अनुप्रमाणित किया जा सकता है ।

****

भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 56
(23.04.2015 को उत्तर के लिए)

दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिश

56. श्री सी० एम० रमेश :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग (एआरसी) की सिफारिशों को स्वीकार करने का विचार रखती है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है एवं यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय एवं राज्य मंत्री, प्रधानमंत्री का कार्यालय
(डा. जितेन्द्र सिंह)

(क) और (ख) द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग (एआरसी) ने शासन के विविध पहलुओं के संबंध में केंद्र सरकार को 15 रिपोर्टें प्रस्तुत की। इनमें की गई 1514 सिफारिशों में से 1183 सिफारिशों को सरकार द्वारा कार्यान्वयन हेतु स्वीकार कर लिया गया है। स्वीकृत सिफारिशों से संबंधित निर्णयों को कार्यान्वयन हेतु सभी संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को सूचित कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशों का शीघ्र कार्यान्वयन करने हेतु सभी संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों से अपने सचिव की अध्यक्षता में एक संस्थागत तंत्र का गठन करने का अनुरोध किया गया है ताकि इसके कार्यान्वयन को मॉनीटर किया जा सके। इसी प्रकार, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से भी संबंधित मुख्य सचिवों/प्रशासकों की अध्यक्षता में ऐसे तंत्र का गठन करने का अनुरोध किया गया है।

****

भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 57
(23.04.2015 को उत्तर के लिए)

व्यक्तिगत उपयोग हेतु सरकारी ई-मेल सेवा का उपयोग

57. श्री पॉल मनोज पांडियन :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अपने कर्मचारियों को व्यक्तिगत संदेशों अथवा कोई भी ऐसी सामग्री जिसमें धर्म, जाति एवं नस्ल के प्रति अपमानजनक भाषा का उपयोग हुआ हो अथवा जो राष्ट्रहित के खिलाफ हो, को भेजने के लिए सरकारी ई-मेल सेवा के उपयोग के प्रति सावधान किया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ख) क्या सरकार ने सरकारी ई-मेल सेवा के अनुचित उपयोग के दस ऐसे उदाहरणों को उद्धृत किया है जिसमें कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय एवं राज्य मंत्री, प्रधानमंत्री का कार्यालय
(डा. जितेन्द्र सिंह)

(क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

****

भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 836
(30.04.2015 को उत्तर के लिए)

ऑनलाइन सीपीजीआरएएमएस (सीपीग्राम्स) पोर्टल की कार्य पद्धति की समीक्षा

836. श्रीमती रजनी पाटिल :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ऑनलाइन केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली (सीपीग्राम्स) पोर्टल की कार्यपद्धति की समीक्षा की है; और

(ख) यदि हां, तो उसका परिणाम क्या रहा है और इस प्रणाली में सुधार हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

उत्तर

राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय एवं राज्य मंत्री, प्रधानमंत्री का कार्यालय
(डा. जितेन्द्र सिंह)

(क) और (ख) जी, हां । केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण एवं मॉनीटरिंग प्रणाली (सीपीग्राम्स) के माध्यम से पीजी पोर्टल पर लोक शिकायतों को दर्ज कराने हेतु आरूप (फार्मेट) की समीक्षा की गई है । याचिकाकर्ताओं को स्पष्ट विकल्प सूची और ड्राप डाउन विकल्प उपलब्ध कराते हुए शिकायतों की सहजता से प्रस्तुति को सरल और सुविधाजनक बनाने के लिए एक संशोधित नमूना (टेम्पलेट) की शुरूआत की गई है । शिकायतों की श्रेणियों को संशोधित किया गया है ताकि निवारण हेतु प्राप्त विविध मामलों को कवर करके विश्लेषणात्मक रिपोर्ट तैयार किया जा सके । पेंशनभोगी पोर्टल को सीपीग्राम्स के साथ एकीकृत कर दिया गया है जिससे पेंशन संबंधी शिकायतें सीधे ही पेंशनभोगी पोर्टल को अग्रेषित हो जाती हैं ।

****

भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1312
(07.05.2015 को उत्तर के लिए)

स्वप्रमाणित दस्तावेजों का स्वीकृत न किया जाना

1312. डा. आर. लक्ष्मणन :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या सरकार को कर्मचारियों द्वारा स्वप्रमाणित दस्तावेजों को स्वीकार न किए जाने के संबंध में आम जनता की ओर से अभ्यावेदन/शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार को प्राप्त हुई शिकायतों का ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है ?

उत्तर

राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय एवं राज्य मंत्री, प्रधानमंत्री का कार्यालय
(डा. जितेन्द्र सिंह)

(क) जी हां।

(ख) विभिन्न प्राधिकरणों द्वारा स्व-प्रमाणन को स्वीकार नहीं करने के संबंध में दो लोक शिकायतें प्राप्त हुई थीं। इस विषय के संबंध में स्पष्टीकरण मांगने हेतु सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत अनेक आवेदन भी प्राप्त हुए हैं।

प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग स्व-प्रमाणन को अपनाने तथा शपथ-पत्रों का लोप करने के संबंध में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और केंद्रीय मंत्रालयों से अनुरोध करता रहता है। इस संबंध में अनेक पत्र भेजे गए हैं।

*****